



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**



e-mail : pccf-development@gov.in

— 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : ०१ / यो०ब०-११/२०२०-५७७

दिनांक : -२३/६/२०२१

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमंडल, देवघर/कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा/हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग/हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग/बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो/रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़/धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद/गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह/मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2026-27 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत पथतट/संस्थानों आदि की भूमि पर पी०वी०सी० जाली से निर्मित गमला गैबियन से वृक्षारोपण एवं पथतट/संस्थानों आदि की भूमि पर बॉस गैबियन से वृक्षारोपण तथा गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण कार्य का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए कुल रु० 250.288 लाख (दो करोड़ पचास लाख अठाईस हजार आठ सौ रुपये) मात्र राशि का ऑनलाइन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या ४/यो०ब०-२५/२०२०-३५/स्वी० व०प० दिनांक-१८.०३.२०२१ एवं आवंटन आदेश संख्या-०४/यो० बजट-२५/२०२०-११/आ० व०प० दिनांक-०१.०६.२०२१।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-०१ वानिकी, लघु शीर्ष- 102-समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष-५९-अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु० 250.288 लाख (दो करोड़ पचास लाख अठाईस हजार आठ सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060110259010103	220.510
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060110259010323	29.778
कुल :-		250.288



2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1(क से ग) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2(क से ग) एवं ऑन लाईन उप-आवंटन अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S24060110259010103 तथा 19S24060110259010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान अन्तर्गत शामिल जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

5. ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं, उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि को स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहित के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

9. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्ग दर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

10. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उनके नियंत्री पदाधिकारी तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे :-

(i) योजनानांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

(ii) नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(iii) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं बैठकों का आयोजन Offline या online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी किया जाय।

(iv) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश संबंधित पदाधिकारियों द्वारा निर्गत किया जाएगा। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।

(v) कोई Duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय, यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, बन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

(vi) दो या दो से अधिक स्त्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा।

(vii) विभिन्न आय स्त्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का व्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंडम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्टाकपंजी इत्यादि तदनुसार सत्यापित एवं update रहे।

11. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :—

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2020–21 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

12. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का स्थूल स्थूल नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा। विभागीय परिपत्रों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निरीक्षण मात्र निर्धारित प्रतिशत सीमा जो विभिन्न पदनाम हेतु निर्धारित है, उसका पालन किया जाय।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य बन संरक्षक, विकास, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान व्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(V) योजना का व्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैट्रन पर तैयार करायें।

(VI) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(VII) Income Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

(VIII) कंडिका— VII के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

(IX) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना के कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्राक्कलन तैयार कर उस पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

13. (i) मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र-संयंत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र-संयंत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

14. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान DBT/बैंक/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। Cash में कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

16. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना इस कार्यालय को तुरन्त देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

17. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार या GeM से की जाएगी।

18. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या—सह—झापांक—686, दिनांक—05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

20. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना—सह—वित्त विभाग, झारखण्ड, रॉची द्वारा समय—समय पर निर्गत आदेश/निर्देश लागू होंगे।

21. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

22. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आकड़ा वर्षवार विभागीय वेबसाईट पर फोटो के साथ डाला जाए तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध कराई जाए।

23. (i) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा समर्पण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन Gis Photography के साथ कर record में रखें तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(ii) बड़े अग्रिम की राशि वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(iii) Master Roll में अन्य ब्यौरा के साथ—साथ बैंक का नाम, Account Number तथा IFSC कोड भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(iv) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Documents के साथ—साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(v) एक वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(vi) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(vii) राशि की विमुक्ति के पूर्व संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरजीविता प्रतिशत की सूचना प्राप्त कर स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र



पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त करें। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय।

(viii) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75 प्रतिशत होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(ix) ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—11 / 2020—५७७ दिनांक—२३ / ६ / २०२१

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/संथाल परगना, दुमका/उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू/हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/हजारीबाग/बोकारो/पलामू/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर/हजारीबाग/बोकारो/गिरिडीह/मेदिनीनगर/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—11 / 2020—५७७ दिनांक—२३ / ६ / २०२१

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, देवघर/कोडरमा/हजारीबाग/बोकारो/रामगढ़/धनबाद/गिरिडीह/मेदिनीनगर/डोरण्डा, राँची/दुमका/देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत पथरट/संस्थानों आदि की भूमि पर पी0वी0सी0 जाली से निर्मित गमला गैबियन से वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) हेतु प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 311.33 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (गैबियन में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			435.86	96.50	532.36
i	ii	iii	iv	v	vi
1	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	1000	4.358	0.965	5.323
2	कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	1000	4.358	0.965	5.323
3	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	1000	4.358	0.965	5.323
4	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	1000	4.358	0.965	5.323
5	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	1000	4.358	0.965	5.323
6	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	1000	4.358	0.965	5.323
7	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	1000	4.358	0.965	5.323
8	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	2000	8.717	1.930	10.647
9	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर	1000	4.358	0.965	5.323
योग :-		10000	43.581	9.650	53.231

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत पथरतट/संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) हेतु प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 311.33 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (गैबियन में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			435.86	96.50	532.36
i	ii	iii	iv	v	vi
1	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	2150	9.371	2.075	11.446
2	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	3000	13.076	2.895	15.971
3	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	1000	4.358	0.965	5.323
4	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	1000	4.358	0.965	5.323
5	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	1000	4.358	0.965	5.323
6	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर	1000	4.358	0.965	5.323
7	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा	2000	8.717	1.930	10.647
योग :-		11150	48.596	10.760	59.356

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) हेतु प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 311.33 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेठो में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			34451.78	2515.00	36966.78
i	ii	iii	iv	v	vi
1	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा	22.50	7.752	0.566	8.318
2	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	350.00	120.581	8.802	129.383
योग :-		372.50	128.333	9.368	137.701

अपर प्रधान मुख्य वन सरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम— पथरट / संस्थानों आदि की भूमि पर पी०वी०सी० जाली से निर्मित — गमला गैबियन वृक्षारोपण

गैबियन का आकार — उपर का व्यास रींग 2'5"

बीच का व्यास रींग 2'0" एवं नीचे का व्यास रींग

1'5", ऊँचाई — जमीन से उपर 5'3" तथा एक

फीट गहरा जमीन में एवं 9" की पत्ती मुड़ी जो

आगे से कटी हुई हो।

स्पेसिंग — पक्कित से पक्कित की दूरी — 3 मी०

कार्य दर — एक गैबियन

पौधे से पौधे की दूरी — 5 मी०

मजदूरी प्रति मानव दिवस: 311.33 रुपये

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	प्रति गैबियन	मानव दिवस	कुल मजदूरी, (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 311.33						
1	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 20 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर ढुलाई सहित	प्रति गैबियन	0.00	0.00	25.00	25.00	
2	गड़े में डालने हेतु बालू एवं गोवर खाद का क्रय एवं मिश्रण बनाना (बालू वर्मी कम्पोस्ट मिटटी के साथ)	प्रति गैबियन	0.15	46.70	20.00	66.70	
3	पौधारोपण (DAP-50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम)	प्रति गैबियन	0.10	31.13	2.00	33.13	
4	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम— 5ग्रा. युरिया५ ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया५ ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया५ ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	46.70	4.50	51.20	
5	पटवन (रिक्षा/ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	155.67	25.00	180.67	
6	सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	155.67	0.00	155.67	
7	साईन-बोर्ड एवं गैबियन नंबरिंग	प्रति गैबियन	0.00	0.00	20.00	20.00	
	योग		1.40	435.86	96.50	532.36	



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

योजना का नाम— पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस गैबियन के साथ वृक्षारोपण
की अनुसूचित कार्य दर

1. बाँस—गैबियन का आकार: ६'x२'x२'-६"
 2. रेप्रेसिंग — पवित्र से पवित्र की दूरी — ३ मी०
 3 मजदूरी दर प्रति मानव दिवस: 311.33 रुपये पौधे से पौधे की दूरी — ५ मी०

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	कुल मजदूरी, (रु० मे०)	सामग्री (रु० मे०)	कुल व्यय (रु० मे०)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A) वित्तीय वर्ष 2021-22 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 311.33							
1	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 20 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर छुलाई सहित	प्रति गैबियन	0.00	0.00	25.00	25.00	छ. फीट ऊँचाई के काढ़, फलदार एवं शोभाकार प्रजाति के Evergreen पौधे लगाए जाएँगे
2	गडडे में डालने हेतु बालू एवं वर्मी कम्पोस्ट का क्रय एवं मिश्रण बनाना (बालू, वर्मी कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)	प्रति गैबियन	0.15	46.70	20.00	66.70	
3	पौधारोपण (DAP-50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम)	प्रति गैबियन	0.10	31.13	2.00	33.13	
4	तीन कोड़नी निकौपी (प्रथम— 5ग्रा. युरिया५ ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया५ ग्राम कीटनाशक, तृतीय: 5 ग्रा. युरिया५ ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का यदलाब	प्रति गैबियन	0.15	46.70	4.50	51.20	
5	पटवन (रिक्षा/ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	155.67	25.00	180.67	
6	सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	155.67	0.00	155.67	
7	साइन-बोर्ड एवं गैबियन नबरिंग	प्रति गैबियन	0.00	0.00	20.00	20.00	
	योग		1.40	435.86	96.50	532.36	



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर प्रति हे0योजना का नाम— अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण गैर-वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी0 x 2 मी0)

क्र0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रु0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) वित्तीय वर्ष 2021–22 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 311.33							
1	अशा पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे0	21.50	6693.60	0.00	6693.60	
2	वृक्षारोपण	हे0	36.50	11363.55	0.00	11363.55	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे0	41.50	12920.20	0.00	12920.20	
4	ट्रैच के वर्म पर धेरान हेतु बीज रोपन	हे0	2.00	622.66	0.00	622.66	
5	पौधों की सुरक्षा	हे0	9.16	2851.78	0.00	2851.78	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	2365.00	2365.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
योग :-			110.66	34451.78	2515.00	36966.78	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-11/2020_A/477

दिनांक -

23-Jun-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	28004	DGRFORE88 RAJ KUMAR SAH DFO DEO.FOR.DIV.DEO. 03 - मजदूरी	1,743,400.00 रुपये स त्र ह लाख तीरयालीस हजार चार सौ
2	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	28005	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA 03 - मजदूरी	435,800.00 रुपये चार लाख पैसों हजार आठ सौ
3	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	28007	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST 03 - मजदूरी	435,800.00 रुपये चार लाख पैसों हजार आठ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: रुपये छब्बीस लाख पंद्रह हजार 2,615,000.00

क्रमिक योग:

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL PCCE DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	28009	HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB 03 - मजदुरी	435,800.00 रुपये चार लाख पैसों हजार आठ सौ
5	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	28011	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO 03 - मजदुरी	871,600.00 रुपये आठ लाख इक्कहत्तर हजार छः सौ
6	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	28013	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE 03 - मजदुरी	435,800.00 रुपये चार लाख पैसों हजार आठ सौ
				State Scheme : NA Central Scheme : NA

योग:

रुपये तीरयालीस लाख अठावन हजार दो सौ

1,743,200.00

क्रमिक योग:

4,358,200.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060110259010103	28015	DHNFOR001	435,800.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SRI BIMAL LAKRA	रुपये चार लाख पैसीस हजार आठ सौ
	102 - समाज तथा फार्म वानिकी		DIVISIONAL FOREST OFFICER	
	59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण			
	01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण		03 - मजदूरी	
	01 - वेतन एवं भत्ते			
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		
8	S 19 24060110259010103	28016	GRDFOR001	435,800.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		PRAWESH AGRAWAL	रुपये चार लाख पैसीस हजार आठ सौ
	102 - समाज तथा फार्म वानिकी		DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	
	59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण			
	01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण		03 - मजदूरी	
	01 - वेतन एवं भत्ते			
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		
9	S 19 24060110259010103	28018	PLMFOR070	1,372,900.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		AMARNATH PRASAD SINGH IFS D.F.O.MEDININAGAR.OREST.DIV.	रुपये तेरह लाख बहत्तर हजार नौ सौ
	102 - समाज तथा फार्म वानिकी			
	59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण			
	01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण		03 - मजदूरी	
	01 - वेतन एवं भत्ते			
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		

योगः

रुपये छाप्ट लाख दो हजार सात सौ

2,244,500.00

क्रमिक योगः

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PO/CE DEV HARKHAND
RANCH

6,602,700.00

क्रमांक	विपन्न कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	28020	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI 03 - मजदुरी	871,700.00 रुपये आठ लाख इकहत्तर हजार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
11	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	28021	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA 03 - मजदुरी	12,058,100.00 रुपये एक करोड बीस लाख अठावन हजार एक सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
12	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	28022	DGRFORE87 B.BHASKARAN D.F.O. S.F.DIV.. DGR 03 - मजदुरी	871,600.00 रुपये आठ लाख इकहत्तर हजार छ: सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योगः

रुपये दो करोड चार लाख चार हजार एक सौ

13,801,400.00

क्रमिक योगः

20,404,100.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL PCCE DEV JHARKHAND

RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	28023	KDMFORA02 KANAK KISHORE D.F.O (S.F.) KODERMA 03 - मजदुरी	1,646,900.00 रुपये सोलह लाख छयालीस हजार नौ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
14	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	28027	DGRFORE88 RAJ KUMAR SAH DFO DEO.FOR.DIV.DEO. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	386,000.00 रुपये तीन लाख छियासी हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
15	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	28028	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	96,500.00 रुपये छ्यानवे हजार पाँच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योगः

रुपये दो करोड़ पच्चीस लाख तैतीस हजार पाँच सौ

2,129,400.00

क्रमिक योगः

22,533,500.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL PCCE DEV JHARKHAND

RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	28029	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	96,500.00
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
17	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	28030	HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	96,500.00
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
18	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	28031	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	193,000.00
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योगः

रुपये दो करोड उन्नीस लाख उन्नीस हजार पाँच सौ

386,000.00

क्रमिक योगः

22,919,500.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL PCCE DEV JHARKHAND

PANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	28032	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	96,500.00 रुपये छयानवे हजार पॉच सौ
	 State Scheme : NA Central Scheme : NA			
20	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	28033	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	96,500.00 रुपये छयानवे हजार पॉच सौ
	 State Scheme : NA Central Scheme : NA			
21	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	28034	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	96,500.00 रुपये छयानवे हजार पॉच सौ
	 State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योगः

रुपये दो करोड बत्तीस लाख नौ हजार

क्रमिक योगः

289,500.00

23,209,000.00

(NAND KISHORE SINGH)
DDI PCCE DEV JHARKHAND

RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	28036	PLMFOR070 AMARNATH PRASAD SINGH IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	304,000.00 रुपये तीन लाख चार हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
23	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	28039	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	193,000.00 रुपये एक लाख तिरनावे हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
24	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	28040	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	880,200.00 रुपये आठ लाख अस्ती हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योगः

रुपये दो करोड ऐतालीस लाख छियासी हजार दो सौ

1,377,200.00

क्रमिक योगः

24,586,200.00

ADDL PCCE DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित बन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित बनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	28041	DGRFORE87 B.BHASKARAN D.F.O. S.F.DIV.. DGR 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	193,000.00
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
26	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित बन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित बनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	28044	KDMFORA02 KANAK KISHORE D.F.O (S.F.) KODERM/ 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	249,600.00
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये दो करोड़ पचास लाख अठाइस हजार आठ सौ

442,600.00

क्रमिक योग:

25,028,800.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL PCCE DEV JHARKHAND

RANCH